कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर

पत्रांक: /ई–पेंशन/डि0सि0/2015–16, दिनांक

विषय– **ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली, ई–पेंशन सिस्टम के संचालन के सम्बन्ध में ।**

समस्त आहरण–वितरण अधिकारी
जनपद–बुलन्दशहर

उपरोक्त विषयक वरिष्ठ कोषाधिकारी बुलन्दशहर के पूर्व प्रेषित पत्रांक–1051/कोष0कम्प्यू0/डि0सि0/2015–16, दिनांक 09/12/2015 एवं पत्रांक 1341/कोष0कम्प्यू0/ डि0सि0/2015–16,दिनांक 14/03/2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपसे अनुरोध किया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों कों ई–पेंशन के माध्यम से भुगतान किये जानें में कोई विलम्ब ना हो इसके लिये आप अपनें डिजिटल हस्ताक्षर यथाशीध्र प्राप्त कर लें ।

निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार जनपद बुलन्दशहर द्वारा ई–पेंशन के लिये पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को भेजे गये प्रकरणों की संख्या शून्य है । इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी को इस प्रणाली के माध्यम से ई–पेंशन का भुगतान कराये जानें के सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही नहीं की जा रही है

अतः आप यथाशीध्र अपनें डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त कर कोषागार को अविलम्ब सूचित करें एवं अनिवार्य रूप से उपरोक्त प्रणाली द्वारा ई–पेंशन के भुगतान की कार्यवाही किया जाना तत्काल सुनिश्चित करें । सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण में विलम्ब की दशा में सम्बंधित आहरण–वितरण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे ।

(बी0 चन्द्रकला)
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर

पत्रांक: ~~1421~~ 1417 I /ई–पेंशन/डि0सि0/2015–16, तद्दिनांक 21-03-16.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, 1018 जवाहर भवन लखनऊ ।

2–निदेशक पेंशन, पेंशन निदेशालय, छठवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

3–अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, एम0डी0ए0 भवन,मेरठ मण्डल, मेरठ ।

4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित करें ।

5–जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 बुलन्दशहर इस पत्र को जनपद बुलन्दशहर की वैब साईट पर अपलोड करायें।

21/3/16

(बी0 चन्द्रकला)
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर

ई–पेंशन—4